सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **1998/138** दायर दिनांक **25.02.1998**

वादी		प्रतिवादीगण
1. शैतानाराम पुत्र डुँगाराम, जाति—गुर्जर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बंशी पुत्र बिड़दाराम, 2. पेमाराम पुत्र बिड़दाराम, 3. जगदीश पुत्र रामुराम, 4. पांचूड़ी पत्नी रामुराम, 5. लिछमण पुत्र छोटुराम, 6. पुसी पत्नी छोटुराम, 7. गोपीराम पुत्र डुँगाराम, समस्त,जाति—गुर्जर, निवासी—तोषीणा, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 R.T. Act.

उपस्थित—

1. पक्षकारान् उपस्थित।

—:: निर्णय ::—

दिनांक **09.06.2017**

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 स्वर्गीय डुँगाराम के वंशज हैं। ग्राम तोषीणा की शरहद में खेत खसरा नम्बर 844 रकबा 50.03 बीघा व खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा है तो वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की पैतृक सम्पत्ति है। खसरा नम्बर 844 रकबा 50.03 बीघा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 अपनी सुविधा के अनुसार काश्त करते आये हैं। वादी उक्त खसरा नम्बर की भूमि में 1/5 हिस्सा पर अर्सेदराज से काश्त करता आया है तथा खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा में अपने 1/5 हिस्सा में वादी का रिहायशी पक्का मकान बना हुआ है। वादी उक्त खसरान् में 1/5 हिस्सा की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। इसलिए वादी को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद साथ पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 खसरा नम्बर 844 में अपनी सुविधानुसार 1/5 हिस्सा पर काश्त करता आया है। वादी का खसरा नम्बर 844 में 1/5 हिस्सा पर अर्सेदराज से कब्जा है तथा इसी माफिक खसरा नम्बर 885 में अपने 1/5 हिस्से पर काबिज है। मगर जमीन विधिवत् बन्टी हुई न होने के कारण हरसाल काश्त के समय सींवें—नींवें बाबत् रहता है तथा राज्य सरकार में बिगौड़ी अदा करने में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

परेशानी रहती है। इसलिए वादी को बन्टवारा का दावा करना लाजमी आया है।

प्रतिवादीगण पेमाराम, बंशी पुत्रगण स्वर्गीय विड़दाराम के जायन्दा पुत्र हैं। शैतानाराम वादी के बोदूराम, देवाराम व बालुराम जायन्दा पुत्र हैं। प्रतिवादीगण पेमाराम व बंशी ने गलत तथ्यों पर फर्जी दावा पेश किया जिसमें वादी बंशी ने अपने आपको शैतानाराम का दत्तक पुत्र बताया। वास्तव में वादी के तीन पुत्र मौजूद हैं। वादी ने कभी बंशी को गोद नहीं लिया। वादी को बिना पक्षकार बनाए गलत तथ्यों पर अदालत को मुगालता देकर फर्जी दावा पेश कर व प्रतिवादी पेमाराम के गलत बयान करवाकर फर्जी डिग्री प्राप्त कर ली जो न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। ऐसा करने का प्रतिवादी बंशी व पेमाराम को कोई अधिकार नहीं था। डिग्री दिनांक 21.07.1992 अब नल एण्ड वोइड है तथा वादी के खिलाफ बेअसर है तथा निरस्त है जिस बाबत् सक्षम न्यायालय में अलग से कार्यवाही की जावेगी।

दिनांक 19.07.1998 को प्रतिवादी बंशी ने वादी को एलानियाँ कहा कि तुम्हारी जमीन मेरे नाम हो गयी है इसलिए तुमको तुम्हारे हिस्से की जमीन से महरूम रहना पड़ेगा जिस पर वादी डीडवाना आया और पता किया व नकलें दिनांक 24.07.1998 को लेने पर ज्ञात हुआ कि प्रतिवादी बंशी व पेमाराम ने फर्जी वाद प्रस्तुत कर तथा बंशी को वादी शैतानाराम का दत्तकपुत्र बताकर वादी के हिस्सा की जमीन 1/5 भाग में अपने नाम करने का निर्णय दिनांक 21.07.1992 को ले लिया। ऐसा करने का प्रतिवादी बंशी व पेमाराम को कोई अधिकार नहीं था।

उक्त निर्णय के आधार पर प्रतिवादी बंशी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाला है। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादी बंशी को कोई अधिकार नहीं है। उक्त गलत निर्णय के आधार पर प्रतिवादी बंशी व पेमाराम वादी को खसरा नम्बर 885 व 844 के 1/5 भाग से जबरन बेदखल करने पर उतारू है। यदि वादी को उसके जायज 1/5 हिस्से से बेदखल कर दिया तो अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं है। इसलिए वादी को प्रतिवादीगण बंशी व पेमाराम के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया।

प्रतिवादीगण बंशी व पेमाराम उक्त गलत निर्णय के आधार पर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने वाले हैं। इसलिए तहीलदार डीडवाना को इस प्रकरण में प्रकार का हस्तानान्तरण बैचाण न करने व म्यूटैशन न भरने बाबत् तहसीलदार को पक्षकार बनया है।

बिनाया दावा दिनांक 19.07.1998 को प्रतिवादी बंशी द्वारा वादी को उक्त 1/5 हिस्सा से बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक 21.07.1992 को गलत तथ्यों पर फर्जी डिक्री लेने पर व निर्णय की नकल दिनांक 24.07.1998 को लेने पर बमुकाम् तोषीणा अन्दर हदुद पैदा हुई।

प्रार्थना वादी है कि–

वाकै शरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 844 रकबा 50.03 बीघा, खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा में से 1/5 हिस्सा का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

तहसीलदार डीडवाना को आदेशित किया जावे कि वादग्रस्त खसरान् भूमि का म्यूटैशन बंशी के नाम न करे व न किसी प्रकार का बैचाण व हस्तानान्तरण का रजिस्ट्रेशन करे।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 1998/138
दायर दिनांक 25.02.1998, निर्णय दिनांक 09.06.2017
शैतानाराम बनाम् बंशी, वगैरा।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 03 ता 07 ने प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश किया।

प्रकरण राजस्व लोक अदालतः न्याय आपके द्वार–तोषीणा में पेश हुआ। पक्षकारान् उपस्थित आये। पक्षकारान् को सुना गया। पक्षकारान् दावा डिक्री किया जाने की इस्तदुआ कर रहे है। पत्रावली का अवलोकन किया।

तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 1243 दिनांक 06.07.2011 के अनुसार दौराने वाद वादग्रस्त खसरा नम्बर 844 के तीन खण्ड हो चुके हैं जिनके खसरा नम्बर 844, 1390/844 व 1391/844 हैं।

सरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 844 रकबा 32.16 बीघा, खसरा नम्बर 1390/844 रकबा 16.08 बीघा व खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा व खसरा नम्बर 1391/844 रकबा 0.19 बीघा में वादी/प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है। सहखातेदार दर्ज होने के कारण उनका बन्टवारा बाबत् वाद प्राथमिक डिक्री सादिर कर तहसीलदार डीडवाना को विभाजन प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार डीडवाना ने अपने पत्रंक 3790 दिनांक 31.03.2017 को विभाजन प्रस्तावित किया। वादी व प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज है तथा तहसीलदार डीडवाना विभाजन प्रस्तावित करने में सक्षम प्राधिकारी है। अतःएव तहसीलदार डीडवाना के प्रस्तावित विभाजन को स्वीकार किया जाकर, विभाजन प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में वाद को अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

दावा डिक्री सादिर कर सरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 844 रकबा 32.16 बीघा, खसरा नम्बर 1390/844 रकबा 16.08 बीघा व खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा व खसरा नम्बर 1391/844 रकबा 0.19 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 3790 दिनांक 31.03.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

अंतिम निर्णय आज दिनांक **09.06.2017** को कोर्ट कैम्प–तोषीणा में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 1998/138 दायर दिनांक 25.02.1998

वादी		प्रतिवादीगण
1. शैतानाराम पुत्र डुँगाराम, जाति–गुर्जर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बंशी पुत्र बिड़दाराम, 2. पेमाराम पुत्र बिड़दाराम, 3. जगदीश पुत्र रामुराम, 4. पांचूड़ी पत्नी रामुराम, 5. लिछमण पुत्र छोटुराम, 6. पुसी पत्नी छोटुराम, 7. गोपीराम पुत्र डुँगाराम, समस्त,जाति–गुर्जर, निवासी–तोषीणा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 R.T. Act.

दिनांक 09.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई पक्षकारान् ओर मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा डिक्री सादिर कर सरहद तोषीणा में खेत खसरा नम्बर 844 रकबा 32.16 बीघा, खसरा नम्बर 1390/844 रकबा 16.08 बीघा व खसरा नम्बर 885 रकबा 01.14 बीघा व खसरा नम्बर 1391/844 रकबा 0.19 बीघा का बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर तहसीलदार डीडवाना के विभाजन प्रस्ताव पत्रांक 3790 दिनांक 31.03.2017 में वर्णितानुसार भूमि के पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। विभाजन प्रस्ताव, निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....–..... मुबलिंग.....–..... बाबत.....–.....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....–..... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 09.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner